न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 402 सन 2022

अनवान :–

1. दयाल उर्फ दयालचन्द पुत्र रामजस जाति धाणक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कमला पुत्री रामजस पत्नी धर्मवीर जाति धाणक निवासी अरणियावाली तहसील व जिला हनुमानगढ सिरसा
2. बाधादेवी पुत्री रामजस पत्नी मदनलाल जाति धाणक निवासी शाहपुरा बेगु तहसील व जिला सिरसा
3. महेन्द्र पुत्री रामजस पत्नी रामप्रताप जाति धाणक निवासी ललानाबास उतरादा हाल निवासी अरणियावाली तहसील व जिला सिरसा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादीगण

5. प्रिती पुत्री सरोज जाति धाणक निवासी पन्नीवाली मोटा तहसील व जिला सिरसा
6. रजीन पुत्री सरोज जाति धाणक निवासी पन्नीवाला मोटा तहसील व जिला सिरसा

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 23/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 76/83 की कुल 4.8940हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी अकेला 2/9 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेली 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेली 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 अकेली 2/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 ,6 प्रत्येक 1/9 ,1/9 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता रामजस के नाम से दर्ज थी वादी के पिता रामजस के देहान्त होने पर विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है सहवन से वाद भूमि विरास्तन से दर्ज करते समय हिस्सा कस्सी गलत तौर से दर्ज हो गई इसलिये वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 जो एक ही परिवार के सदस्य है ने आपसी सहमति से बाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है अर्थात वाद भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 का हिस्सा कस्सी सही तौर से कर ली उसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 के नाम दर्ज भूमि को बाहमी बटवारा के अनुसार राजसव रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उनके पिता रामजस के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ,5 ,6 के नाम से दर्ज हुई थी विरास्तन से वाद भूमि दर्ज करते समय हिस्सा कस्सी सही तौर से

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

दर्ज नही हुई इसलिये वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 , 5 ,6 जो एक ही परिवार के सदस्य है ने आपसी सहमति से बाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वाद भूमि का बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है के अनुसार वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 76/83 की कुल 4.8940हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी अकेला 2/9 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेली 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेली 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 अकेली 2/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 ,6 प्रत्येक 1/9 ,1/9 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता रामजस के नाम से दर्ज थी वादी के पिता रामजस के देहान्त होने पर विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है सहवन से वाद भूमि विरास्तन से दर्ज करते समय हिस्सा कस्सी गलत तौर से दर्ज हो गई इसलिये वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 जो एक ही परिवार के सदस्य है ने आपसी सहमति से बाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है अर्थात वाद भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 का हिस्सा कस्सी सही तौर से कर ली उसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 76/83 की कुल 4.8940हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी अकेला 2/9 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेली 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेली 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 अकेली 2/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 ,6 प्रत्येक 1/9 ,1/9 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में उनके पिता रामजस के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ,5 ,6 के नाम से दर्ज हुई थी विरास्तन से वाद भूमि दर्ज करते समय हिस्सा कस्सी सही तौर से दर्ज नही हुई इसलिये वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 , 5 ,6 जो एक ही परिवार के सदस्य है ने आपसी सहमति से बाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ,5 ,6 के बाहमी बटवारा जो वाद की मद

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

संख्या 5 में दर्ज के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 76/83 के खसरा संख्या 160 की कुल 4.8940हैक भूमि में वादी अकेला 0.9516हैक प्रतिवादी संख्या 1 अकेली 0.9516हैक प्रतिवादी संख्या 2 अकेली 0.9516हैक प्रतिवादी संख्या 3 अकेली 0.9516हैक तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 ,6 का हिस्सा यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. दयाल उर्फ दयालचन्द पुत्र रामजस जाति धाणक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 कमला पुत्री रामजस पत्नी धर्मवीर जाति धाणक निवासी अरणियावाली तहसील व जिला हनुमानगढ सिरसा
2. बाधादेवी पुत्री रामजस पत्नी मदनलाल जाति धाणक निवासी शाहपुरा बेगु तहसील व जिला सिरसा
3. महेन्द्र पुत्री रामजस पत्नी रामप्रताप जाति धाणक निवासी ललानाबास उतरादा हाल निवासी अरणियावाली तहसील व जिला सिरसा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादीगण

5. प्रिती पुत्री सरोज जाति धाणक निवासी पन्नीवाली मोटा तहसील व जिला सिरसा
6. रजीन पुत्री सरोज जाति धाणक निवासी पन्नीवाला मोटा तहसील व जिला सिरसा

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 402 सन 2022 निर्णय दिनांक– 23/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 76/83 के खसरा संख्या 160 की कुल 4.8940हैक भूमि में वादी अकेला 0.9516हैक प्रतिवादी संख्या 1 अकेली 0.9516हैक प्रतिवादी संख्या 2 अकेली 0.9516हैक प्रतिवादी संख्या 3 अकेली 0.9516हैक तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 ,6 का हिस्सा यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner